सत्यमेव जयते
Goverment Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक: 24-25 जुलाई,2024

स्थान: कलेक्टर कार्यालय,जिला- मण्डला (मध्यप्रदेश)

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, LokNayakBhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax : 011-24624628 Email : chairperson@ncst.nic.in

श्री अंतरसिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24-25 जुलाई, 2024 को मण्डला जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 10-07-2024 के क्रम में श्री अंतरसिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 24 एवं 25 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के मण्डला जिले का दौरा किया जिसमें श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, श्री राजीव सक्सेना, निजी सचिव, श्री प्रकाश कुमार उईके, सहायक निजी सचिव,एवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिता की।

काष्ठागार डिपो कालपी वन परिसर, कालपी में आयोजित कार्यक्रम

दिनांक 24-07-2024 को काष्ठागार डिपो कालपी वन परिसर, कालपी में वन विभाग, जिला मण्डला द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण के लिए वन समिति के सदस्यों के सुझावों पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के दल द्वारा सहभागिता की गई। उक्त कार्यक्रम में कई महिला स्वयं-सहायता समूहों की महिलायें एवं वन रक्षा समिति के

सदस्य भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम आयोग के माननीय अध्यक्ष के सह निजी सचिव श्री प्रकाश उईके द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आयोग के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा की गई तथा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं वनों के संरक्षण की बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से चर्चा:

दिनांक 25-07-2024 को मण्डला जिले के सर्किट हाउस में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई एवं उनकी समस्यायें सुनी गई जो इस प्रकार है:

- जिले से निकलने वाले जबलपुर-चिल्पी (कवरदा) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12(ए) का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य न होने के कारण इस राजमार्ग परदुर्घटना से प्रतिवर्ष लगभग 400 से भी अधिक मौतें होती हैं।
- मंडला शहर में बिछिया चौराहे से कटरा हाईवे तक डिवाईडर न होने के कारण भी यहां भी प्रत्येक वर्ष दुर्घटना के कारण सैकड़ों मौतें होती हैं।
- जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक-शिक्षिकायें दोपहर के पश्चात विद्यालय से घर चले जाते हैं।
- बिछिया एवं मंडला विकासखण्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए कन्या छात्रावास की आवश्यकता है।

- जिले में प्रस्तावित बसनिया बांध परियोजना निर्माण के कारण प्रभावित लोगों की मांग हैं कि हमें पुनर्वास हेतु मुआवजा बाजार दर से 10 गुना अधिक दर पर दिया जाये।
- जिले के थामर एवं चुटका परियोजना से प्रभावित लोगों ने समस्या बताई कि उनका पुनर्वास पूर्ण रुप से नहीं हुआ एवं आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- क्षेत्र में मिलेट उत्पादन के लिए किसानों को समय पर बीज एवं खाद की उलब्धता नहीं हो रही है। इस हेतु समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कन्या शिक्षा परिसर, चटुआमार, का भ्रमण

अध्यक्ष महोदय द्वारा कन्या शिक्षा परिसर, चटुआमार का भ्रमण किया गया। श्री प्रकाश उईके द्वारा आयोग के बारे में छात्राओं को जानकारी प्रदान की गईमाननीय अध्यक्ष द्वारा उनकी समस्यायें सुनी गयी,जो इस प्रकार है:

- छात्राओंनेबतायाकिकेमिस्ट्री एवं मैथ्स केएक-एकशिक्षकहैजिसकेकारणकोर्सपूर्णनहींहोपाताहै।
- परिसर में 3 छात्रायें सिकल सेल से पॉजीटिव हैंतथाउनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परिसर में कोई भी डॉक्टर एवं दवाईयों की व्यवस्था नहीं हैं।

- छात्राओं ने बताया कि परिसर में खेल मैदान होने के बाद भी उसकी सफाई नहीं होती है जिसके कारण खेलों की गतिविधियां नहीं हो पाती हैं।
- कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए एक अतिथि शिक्षक को रखा है लेकिन विद्यालय प्रबंधन उससे अन्य कार्यालयीन काम लेता हैं जिसके कारण वह छात्राओं को कम्प्यूटर कोर्स नहीं पढ़ा पाता है।
- छात्राओं ने बताया कि उनको लाईब्रेरी का उपयोग नहीं करने दिया जाता तथा उसके लिए समय भी निर्धारित नहीं है।
- छात्राओं ने आयोग को बताया कि इस वर्ष जो यूनिफार्म दी गई है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है।
- विद्यालय परिसर में इन्वर्टर नहीं होने के कारण बिजली चले जाने पर परेशानी होती है।
- परिसर के अतिथि शिक्षकों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों से माध्यमिक स्तर का काम दिया जाता हैतथा अतिथि शिक्षकों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं दिया गया है एवं शिक्षकों ने प्राचार्य के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

आयोग ने यह भी पाया कि परिसर में प्रबंधन ठीक न होने के कारण शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य आपसी सामंजस्य व अनुशासन का अभाव है।

सीएम राईज विद्यालय,निवास,का भ्रमण

दिनांक 24/07/2024 को अध्यक्ष महोदय द्वारा मण्डला जिले के निवास विकासखंड में स्थित सीएम राईज विद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा अध्ययनरत्

छात्र-छात्राओं से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सीएम राईज विद्यालय के निर्माणाधीन भवन का भी अवलोकन किया गया तथा ठेकादार द्वारा भवन निर्माण में बिना सीमेंट के कार्य करने की घटना को संज्ञान लेते हुए अत्यन्त नाराजगी व्यक्त की गई। यह भी ज्ञात हुआ कि जिले में जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे है वह भी अत्यन्त गुणवत्ता विहीन हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस घटना के लिए जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त को जिम्मेदार बताया एवं निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाये।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आचली,का भ्रमण

अध्यक्ष महोदय द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आचली का भ्रमण किया गया तथा विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। चर्चा के दौरान प्राचार्य ने बताया कि इस वर्ष शिक्षकों की भर्ती होने से शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है लेकिन छात्र-छात्राओं के लिए कॉपी-किताबों की राशि शासन से प्राप्त नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष महोदय ने शीघ्र कॉपी-किताबों को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,सलवाह,का भ्रमण

दिनांक 25/07/2024 को अध्यक्ष महोदय द्वारा विकास खण्ड घुघरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास,सलवाह का सांय 4बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक श्री सोहन सिंह बघेल एवं भृत्य अमरनाथ गोटिया छात्रावास में उपस्थित मिले। निरीक्षण में छात्रो के कमरे एवंबाथरूम बहुत गन्दे पाये गये साथ ही किचिन में भी गंदगी पाई गई। खाद्यान्नसामग्री में चावल को छोडकर अन्य कोई भोजन सामग्री जैसे सब्जी, तेल, आटा आदि नहीं मिली। छात्रों ने बताया कि रोज मात्रदाल, चावल बनाया जाता है। स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छात्रावास संचालन में अव्यवस्था के कारण रोषव्यक्त कियागया। सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास, सलवाह में अधीक्षक के कार्यरत होने के बाद भी छात्रावास संचालन में लापरवाही पायी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासन को निर्देश दिया कि उक्त अधीक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाही कर आयोग को सूचित करें।

<u>समीक्षा बैठक का विवरण</u>

दिनांक 25 जुलाई,2024 को माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय,मण्डला में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की

गई थी।बैठक में आयोग के दल सहित जिला प्रशासन के समस्त विभागों के पदाधिकारीसम्मिलित हुए। सर्वप्रथम जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वाराअपनापरिचय दिया गया।उसके उपरांत आयोग से श्री अंकित कुमार सेन द्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारीप्रदान की गई।तत्पश्चात प्रशासन के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपने विभाग की जानकारियां पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आयोग को दी गई। आयोग द्वारा विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जो कि निम्नानुसार है:

सामान्य जानकारी

मण्डला जिले में 6 तहसीलें एवं 9 आदिवासी विकासखण्ड हैं तथा 490 ग्राम पंचायतें,1212 ग्राम हैं। जिले की सीमा उत्तर-पश्चिम में जबलपुर,दक्षिण-पश्चिम में बालाघाट एवं पूर्व में डिण्डौरीजिले से लगी हुई हैं, वहीं दक्षिण-पूर्व में जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगी हुई है। जिले में बैगा एवं गौंड जनजाति प्रमुख रुप से निवास करती हैं।

योजना एवं कार्यक्रमों की तथ्यात्मक जानकारी

- **जनसंख्या**: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले की कुल जनसंख्या 10,54,905 है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6,10,528(58%) है।

- **शिक्षा:**जिले की कुल साक्षरता दर 66.87% है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता दर 60.09% (महिला 49.00% एवं पुरुष 71.69%) है। जिले में अनुसूचित जनजाति में हाईस्कूल स्तर पर शाला त्यागने की दर 3.39 प्रतिशत है। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को शाला त्यागने की दर कम करने के लिए एवं महिला-पुरुष की साक्षरता दर के अंतर को कम किए जाने हेतुकिए जा रहे प्रयासोंसे आयोग को अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

  सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर प्रतिमाह 20,000 तथा मुख्य परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 प्रकरण आवंटन के अभाव में राज्य स्तर पर लंबित है। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में संचालित आकांक्षा योजना एवं विदेश अध्ययन योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की जानकारी आयोग को भेजी जाये।

- **जिले में संचालित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी:**

क्रमांक	संस्था	संख्या
1	प्राथमिक शाला	2056
2	माध्यमिक शाला	612

3	हाईस्कूल	122
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	70
5	सी.एम.राइज विद्यालय	9
6	एकलव्य आवासीय विद्यालय	5
7	कन्या शिक्षापरिसर	5
8	क्रीड़ा परिसर	1
9	जनजातीय आश्रमशाला	64
10	जनजातीय छात्रावास	83

- **एट्रोसिटी एक्ट:** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2022-23 में 45 प्रकरण स्वीकृत हुए जिनमें सभी को राहत राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में 109 प्रकरण स्वीकृत हुए जिनमें से 59 प्रकरणों में राहत राशि दी गई। वर्ष 2024-25 में 74 स्वीकृत प्रकरणोंमें से किसी भी प्रकरण में राहत राशि नहीं दी गई। विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में शेष 124 राहत राशि के प्रकरणों का भुगतान बजट न होने के कारण राज्य स्तर पर लंबित है।
- **वनाधिकार अधिनियम:** जिले में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त 11,800 व्यक्तिगत दावों में से 10556 दावों में 14015.08 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे प्रदान किये गये हैं। सामुदायिक वनाधिकार दावों के अन्तर्गत प्राप्त कुल 3235 दावों में रकबा 76850 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे प्रदान किये गये हैं।

बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2022-23 से पूर्व के 1244 दावें अमान्य किये गये थे, जिनका पुन: परीक्षण प्रशासन स्तर पर

किया जा रहा हैं। वर्ष 2023-24 में प्रशासन द्वारा दावों को निरस्त करने की बजाय 2602 दावें पुन: परीक्षण के लिए भेजे थे जिनमें से 772 दावें स्वीकृत किये गये हैं, बाकिमें परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वनमित्र पोर्टल पर ग्रामसभा समिति के स्तर से 4,130 नये दावें प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण का कार्य किया जा रहा हैं तथा उनमें से 180 दावें उपखण्ड स्तर पर लंबित हैं।

बैठक में बताया गया कि वनाधिकारअधिनियम के प्रावधानोंके अनुसार जनपद पंचायत मवई, ग्राम-अमवार के 06 पोषक ग्रामों के 150 बैगा परिवारों को एवं जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायतों चंगरिया, कन्हारीकलां, मेढ़ाताल के 11 पोषक ग्रामोंके 541 बैगा परिवारों को 1099 हेक्टेयर वन को हैबिटेट राइट्स प्रदान किया गया हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वितअनुसूचित जनजाति के किसानों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई एवं निर्देशित किया गया कि सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो।जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण पूरे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले में कुल 11454 पट्टेधारी किसानों में से 6842 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है।

- **स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी**: आयोग को जानकारी दी गई कि **भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना** के अन्तर्गत 40 हितग्राहियों को

ऋण देने का लक्ष्य था जिसमें 39 प्रकरण स्वीकृत किए गए तथा 27 प्रकरणों में ऋण राशि वितरित की गई।

टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत 299 हितग्राहियों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य था जिसमें से केवल 18 हितग्राहियों के प्रकरण ही स्वीकृत हो पाये हैं, जिनमें से 16 प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया गया हैं।

प्रशासन द्वारा बताया गया कि जिले में भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना की मांग अधिक है इसलिए इसमें लक्ष्य बढ़ा दिया जाये या टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऋण की राशि बढ़ाई जाये,ताकि युवाओं को अधिक से अधिक योजना का लाभ दिया जा सके।

आयोग द्वारा प्रशासन को निर्देशित किया कि इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे, कितने स्वीकृत हुए तथा कितने प्रकरणों में ऋणराशि प्रदान की गई,इसकी विस्तृत जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

- **स्वास्थ्य:** जिले की कुल जनसंख्या 12,23,901 हैं जिसमें से 3,99,113(32.60%) लोगों की सिकल सेल एनिमिया की स्क्रीनिंग की जा चुकी हैं। जिले में बैगा जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 48,412 हैं, जिनमें से 40,698 (84%) लोगों की स्क्रीनिंग की गई हैं।

विवरण	कुल	बैगा
जनसंख्या	12,23,901	48,412
कुल स्क्रीनिंग	3,99,1134	40,698
सिकल सेल केरियर	16,106	2427
सिकल सेल रोग ग्रस्त	1975	231

कार्ड वितरण	324	81
पॉजिटिविटी रेट	5%	7%

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों के स्वीकृत 14 पदों में से 13 पद रिक्त हैं एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भीअत्यधिक संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी के पद रिक्त हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

आयोग द्वारा प्रशासन को निर्देश दिया गया कि सिकल सेल एनीमिया की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग कराए जाने हेतुप्रयास कराए जाए। यह भी निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों से आयोग को अवगत कराया जाये।

- **प्रधानमंत्री जनमन योजना:**प्रशासन द्वारा आयोग को जानकारी दी गई कि जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर हैं तथा जहां बिजली, सड़क, आवास एवं पानी की कमी हैं, उस स्थान पर सर्वे का काम जारी है। बैठक में यह भी जानकारी प्रदान की गई कि जिले में कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या है जिससे ऑनलाईन कार्य नहीं हो पाते है तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने में जिला प्रशासन को समस्या होती है। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन इस समस्या के समाधान किए जाने हेतु बीएसएनएल से संपर्क किया जाए।

- **पेसा अधिनियम:** प्रशासन द्वारा आयोग को बताया गया कि जिले में पेसा अधिनियम के अन्तर्गत 24 प्रकरणों में पेसा ग्राम सभा गठित होना शेष हैं।

जिले में वन ग्राम से राजस्व ग्राम में स्थानान्तरण की प्रक्रिया में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा प्रक्रिया राज्य स्तर पर लंबित है।

- अनुसूचित जनजाति की भूमि के बटवारा/नामान्तरण के संबंध में आयोग द्वारा पूछा गया कि आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि का नामान्तरण परिवार के सदस्यों में किस प्रकार किया जाता है? विभाग द्वारा बताया गया कि इस स्थिति में भूमि का नामान्तरण/बंटवारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। आयोग द्वारा इस परिस्थिति में भूमि का नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से न किया जाकर जनजाति समुदाय के रिति-रिवाजों से संबंधित राजपत्र में प्रकाशित नियमानुसार किया जाना चाहिए।

बैठककेअंतमेंआयोगकेमाननीयअध्यक्षनेप्रभारीकलेक्टर जिला-मण्डलाकोबैठकमेंहुईचर्चाओंऔरआयोगद्वारादिएगएसुझावोंपरकार्यवाहीकरतेहुएआयोगकोकार्यपालनप्रतिवेदनभिजवानेकानिर्देशदिया।प्रभारी कलेक्टर, जिला मण्डलानेभीआयोगकेमाननीयअध्यक्षएवंअन्यपदाधिकारियोंकोजिलेमेंआगमनएवं उपयोगीविचार-विमर्शहेतुआभारप्रकटकिया।